

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 643 सन 2021

अनवान :-

1. रमेश चन्द्र व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चन्द्रशेखर व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजीव लोचन व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
3. कमलेश कुमार व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
4. विजयरतन व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
5. उर्मिला पुत्री मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
6. मोहनी देवी पत्नी मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 24 जेएसएन के खाता संख्या 69/73 की कुल 3.7950 हैक् व रोही मौजा 25 जेएसएन के खाता संख्या 55/58 की कुल 2.5300 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मदन गोपाल व्यास के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल को देहान्त हो चुका है मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 ,4 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के भाई जिन्होंने आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जाकर अन्य खाते में भूमि रखी जाकर वादी भूमि में अपने हकों को त्याग किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ,6 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल को देहान्त हो चुका है मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिंसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल को देहान्त हो चुका है मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जो मदन गोपाल व्यास पुत्र रावतामल के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 24 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073/2076 खाता संख्या 69/73 कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 वा रोही मौजा 25 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077 खाता संख्या 55/58 कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 हे भूमि भूमि वादी म्रतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर रोही मौजा चक 25 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 55/58 के प.न.मु.न. 318/404 (15) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है., 3/2 की 0.2280 है., 8 ता 13 की 1.5180 है.वादी के नाम वा वाके चक 24 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 69/73 के प.न.मु.न. 312/404(50) के किला नं. 6 की 0.2530 है., 15-16 की 0.5060 है., 25 की 0.2530 है., प.न.मु.न. 313/404(49) के किला नं. 1 की 0.2530 है., 10-11 की 0.5060 है., प.न.मु.न. 316/403(43) के किला नं. 4/1 की 0.0250 है., 4/2 की 0.2280 है., 5/1 की 0.0260 है., 5/2 की 0.2270 है., कुल= 2.2770 है. प्रतिवादी सं 1 नाम वा चक 24 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 69/73 के प.न.मु.न. 313/404 (49) के किला नं. 2 की 0.2530 है., 9 की 0.2530 है., 12 की 0.2530 है., 19 ता 21 की 0.7590 है., व चक 25 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 55/58 के प.न.मु.न. 317/405 (25) के किला नं. 23 ता 25 की 0.7590 है भूमि मे प्रतिवादी सं 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)  
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021  
कैम्प कोर्ट... जसाना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021

पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रमेश चन्द्र व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. चन्द्रशेखर व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर।
2. राजीव लोचन व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
3. कमलेश कुमार व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
4. विजयरतन व्यास पुत्र मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
5. उर्मिला पुत्री मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
6. मोहनी देवी पत्नी मदन गोपाल व्यास जाति ब्राह्मण निवासी जसाना तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 643 सन 2021 निर्णय दिनांक-26.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा 24 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2073/2076 खाता संख्या 69/73 कुल खसरे 17 का कुल क्षेत्रफल 3.7950 वा रोही मोजा 25 जे.एस.एन. तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत 2074/2077. खाता संख्या 55/58 कुल खसरे 11 का कुल क्षेत्रफल 2.5300 हे भुमी भुमि वादी म्रतक पिता का नाम कलमजन किया जाकर रोही मोजा चक 25 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 55/58 के प.न.मु.न. 318/404 (15) के किला नं. 3/1 की 0.0250 है., 3/2 की 0.2280 है., 8 ता 13 की 1.5180 है.वादी के नाम वा वाके चक 24 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 69/73 के प.न.मु.न. 312/404(50) के किला नं. 6 की 0.2530 है., 15-16 की 0.5060 है., 25 की 0.2530 है., प.न.मु.न. 313/404(49) के किला नं. 1 की 0.2530 है., 10-11 की 0.5060 है., प.न.मु.न. 316/403(43) के किला नं. 4/1 की 0.0250 है., 4/2 की 0.2280 है., 5/1 की 0.0260 है., 5/2 की 0.2270 है., कुल= 2.2770 है. प्रतिवादी स0 1 नाम वा चक 24 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 69/73 के प.न.मु.न. 313/404 (49) के किला नं. 2 की 0.2530 है., 9 की 0.2530 है., 12 की 0.2530 है., 19 ता 21 की 0.7590 है., व चक 25 जे.एस.एन. तहसील नोहर के खाता सं. 55/58 के प.न.मु.न. 317/405 (25) के किला नं. 23 ता 25 की 0.7590 है भुमी मे प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )

नोहर ( हनुमानगढ )

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021

कैम्प कोर्ट....जसाना